

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :- प.7 (141)परि/नियम/मु./95/पार्ट-1/5549


जयपुर, दिनांक :- 01.04.2015

कार्यालय आदेश.05/2015

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के प्रवर्तन कार्य की समीक्षा के दौरान यह तथ्य साकने आया है कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए अनेक चालान जो मौके पर प्रशमन नहीं किए जाते हैं, वे परिवहन कार्यालयों में अत्यधिक लंबी अवधि तक बिना किसी अग्रिम कार्यवाही के पड़े रहते हैं। विभिन्न परिवहन कार्यालयों में मार्च 2014 तक के कुल 71176 चालान लंबित है। उक्त चालान 6 माह से अधिक पुराने होने के कारण इनका कानूनन मूल्य शून्य हो चुका है। पूर्व में भी इस प्रकार के अवधि पार चालानों के निस्तारण हेतु एकाधिक बार एमनेस्टी योजना लागू की गई थी। बार-बार एमनेस्टी योजना लागू करने के उपरांत भी समय पर चालानों का निस्तारण नहीं किये जाने की परंपरा पर राज्य सरकार द्वारा आपत्ति की गई है तथा इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं :-

1. ऐसे समस्त चालान जो मौके पर अथवा वाहन स्वामी या चालक द्वारा प्रशमन नहीं कराए गए हो, को निश्चित समयावधि (6 माह) में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, जिससे चालान समयबाधित (time-barred) न हो सके।
2. ऐसे चालानों में नियमानुरूप यथा-पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञापत्र/चालन अनुज्ञप्ति आदि को निलंबित अथवा रद्द करने की कार्यवाही की जावे।
3. ऐसे चालानों को निश्चित समयावधि में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य नियमानुकूल कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित कार्मिक का दायित्व निर्धारण करें।
- 4- लंबित चालानों के समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु चालान शाखा में लिपिक के अतिरिक्त परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक को संबंधित वाहन स्वामी/चालक को सूचना प्रेषित करने, सक्षम न्यायालय में इस्तगासा/जवाब प्रस्तुत करने अन्य नियमानुकूल कार्यवाही प्रस्तावित करने (पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, अनुज्ञापत्र, चालक लाइसेंस रद्दकरण अथवा निलंबन) एवं अभिलेख/आंकड़े संधारण करने का कार्य आवंटित किया जाकर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाए।

उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि लंबित चालानों के समयानुसार निस्तारण हेतु प्रभावी मामलों में उपरोक्तानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे ताकि राजस्व व नियमों के प्रति सजगता में वृद्धि हो, अन्यथा जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 7(141)/परि/नियम/मु./95/ पार्ट-1/5550-5555 जयपुर, दिनांक:- 01.04.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, जयपुर।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. अपर परिवहन आयुक्त (जोन).....(समस्त)।
4. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....(समस्त)।
5. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)